राजस्थान सरकार

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

आज्ञा–पत्र

किशनसिंह बनाम अवाडा सनरे एनर्जी लि0 आदि

पत्रावली संख्या 30@2023 विषय–धारा 223 आर.टी.ए.1955

दिनांक	आज्ञा	वि0वि0
04.09.2023	पत्रावली पेश हुई । पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश पर राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा पत्रावली सं0 56/2022 अनुवान किशनसिंह बनाम अवाडा सनरे एनर्जी लि0 इस न्यायालय को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई । यह अपील उपखण्ड अधिकारी कोलायत के वाद सं0 11/2022 अनुवानी मजुंदेवी बनाम अवाडा सनरे एनर्जी लि0 आदि में निर्णय दिनांक 24.02.2022 व अतिंम डिक्री दिनांक 29.03.2022 के विरूद्व अपील पेश की है । सिगेदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अपील मियाद बाहर पेश की गयी है । मियाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है । पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया जावे । अधिनस्थ न्यायालय की मुल पत्रावली मंगवाने हेतु पत्र जारी हो। अपीलांट/प्रार्थी श्री किशन सिह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील में उभय पक्षो का पंच पंचायतो के समक्ष आपसी समझोता हो गया अब अपीलांट/प्रार्थी लोक अदालत की जनभावना में अपील मे आगामी कोई कार्यवाही नही करवाना चाहता है । अपीलांट/प्रार्थी अपील को इसी स्तर पर विड्रा करवाना चाहता है अतः अपील को इसी स्तर पर विड्रा करवाने का आदेश प्रदान करावें । अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पर मनन किया गया । उभय पक्षो द्वारा आपस में राजीनामा हो गया है अपीलांट/प्रार्थी अब अपील को आगे नही चलाना चाहते है व इसी स्तर पर विड्रा करना चाहते है अतः अपील को इसी स्तर पर विड्रा (खारीज) की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर को भिजवाई जावे । निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Sangva
Date: 2023.09.05 11:51:04 IST
Reason: SelfAttested

(अशोक सांगवा)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर